

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे  
सदस्य

निगरानी प्र० क० 492-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.11.2013 पारित  
— द्वारा — अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर — प्र०क० 9 अ-21/13-14

बबुआ, पकुवा पुत्रगण मगना अहिरवार

निवासी ग्राम खौप, तहसील एवं

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

—आवेदकगण

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन

—अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा

म०प्र०शासन के पैनल अभिभाषक श्री बी०एन०त्यागी

आदेश

(आज दिनांक 21.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक  
9 अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश  
भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि कि आवेदकगण ने मध्य प्रदेश भू  
राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत आवेदन दिनांक  
10.10.2013 प्रस्तुत कर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर से मांग की कि उनके  
नाम ग्राम खौप स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 95/1 रकबा 1.000 हैक्टर भूमिस्वामी  
स्वत्व पर है। उन्हें पुत्री की शादी करना है जिसके कारण भूमि विक्रय करना

चाह रहे हैं भूमि पट्टे पर प्राप्त है इसलिये विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 9 अ 21/13-14 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30-11-13 से विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने एवं निगरानी की ग्राह्यता पर विचार करने पर पाया गया कि यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 9 अ-21/13-14 में आदेश दिनांक 30.11.2013 के विरुद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे प्रस्तुत की गई है जबकि अपर कलेक्टर न्यायालय संहिता की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने हेतु मूल न्यायालय है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में प्रावधान है कि संहिता की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत कलेक्टर/ अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश मूल न्यायालय का आदेश है जिसके विरुद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त को एवं द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में होगी, जिसके कारण निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य किये जाने योग्य है। जहां तक आवेदक को न्यायादान का प्रश्न है ? प्रथम अपीलीय न्यायालय में आवेदक अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 9 अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। अतएव निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है।

  
(अशोक शिवहरे)  
सदस्य

राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर